भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1456
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार 08 फरवरी, 2018 को दिया जाना है

मंत्रालय के अधीन पीएसयू में स्थानांतरण नीति

1456. श्री पी एल पुनिया:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में कार्यरत कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) मंत्रालय के अंतर्गत पीएसयू में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों से प्राप्त उन स्थानांतरण आवेदनों जो नीति के अनुसार सही हो, की संख्या कितनी है; और

(ग) स्थानांतरित कर दिए गए आवेदकों की संख्या एवं ब्यौरा क्या है तथा अस्वीकार कर दिए गए आवेदनों की संख्या कितनी है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थानान्तरण नीतियां सरकार के मौजूदा दिशानिर्देशों अनुसार और उपक्रमों की अपेक्षाओं के आधार पर उनके संबंधित बोर्डों द्वारा तैयार की जाती है।

(ख) और (ग): इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मैसर्स राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, जयपुर को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों से 7 स्थानान्तरण आवेदन प्राप्त हुए हैं, कर्मचारियों के नाम क्रमशः श्री संजय स्वामी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, श्री मदनलाल कोली, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, श्री के. के खांडेकर, पर्यवेक्षक (तकनीकी), श्री दिनेश चंद बैरवा, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, श्री राम किशोर पर्यवेक्षक (तकनीकी), श्री मदन लाल कोली, पर्यवेक्षक (तकनीकी) और श्री रूप नारायण कोली पर्यवेक्षक (तकनीकी) हैं। तद्नुसार, इन आवेदनों को हस्तांतरित किया गया। मैसर्स ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड को एक आवेदन श्री अहीर मंडल, प्रबंधक (ईआरपी) से प्राप्त हुआ, जिनका स्थानान्तरण कर दिया गया है। मैसर्स सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक आवेदन श्री योगेश कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता से प्राप्त हुआ, जिनका स्थानान्तरण भी कर दिया गया है।

****